संख्या- 48 /2018/385/22-4-18-48(4)/18

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं,
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांक-29 मार्च, 2018**

विषय- जिला कारागार, लखनऊ के कृषि फार्म के उपयोगार्थ 01 नग रोटावेटर एवं 01 नग ट्रैक्टर ट्राली के क्रय हेतु प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृत प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-9414/कृषि-2/11/2009, दिनांक-13.03.2018 एवं पत्र संख्या-11413/कृषि-2/11/2009, दिनांक-22.03.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जिला कारागार, लखनऊ के कृषि फार्म के उपयोगार्थ 01 नग रोटावेटर एवं 01 नग ट्रैक्टर ट्राली का क्रय यूपी स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि0 से किये जाने हेतु (निम्न विवरणानुसार) रू0 3,16,636/-(रूपये तीन लाख सोलह हजार छः सौ छत्तीस मात्र) की प्रशासकीय/ वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रूपये में)

फर्म का नाम	ट्रैक्टर का प्रकार	नग	मूल्य
1	2	3	4
यूपी स्टेट एग्रो लखनऊ	रोटावेटर 1.5 मी0	01	रू0 1,07,252/-
	ट्रैक्टर ट्राली 04 वहीलर	01	रू0 2,09,384/-
		योग-	रू0 3,16,636/-

(1) ट्रैक्टर का क्रय सुसंगत नियमों एवं शासनादेशों के अनुसार समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए नियमानुसार सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उघम विभाग द्वारा सामग्री एवं वस्तुओं/सेवाओं के क्रय हेतु निर्गत सुसंगत शासनादेश के अनुसार से किया जायेगा।

(2) प्रस्ताव में अंकित ट्रैक्टर का क्रय, भण्डार क्रय नियमों एवं संगत नियमों/शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार क्रय प्रक्रिया के अन्तर्गत सभी औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुए किया जायेगा और इसका दायित्व महानिरीक्षक कारागार का होगा।

(3) निष्प्रयोज्य वाहन के प्रतिस्थापन स्वरूप नये वाहन क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक शासनादेश दिनांक 21.06.2010 द्वारा प्रतिनिधानित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग दिनांक 31.03.2018 तक कर लिया जायेगा।

(5) स्वीकृत की जा रही धनराशि बैक खाता अथवा पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(6) धनराशि जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत की जा रही है उसी पर व्यय की जायेगी। व्यय के पश्चात यदि कोई धनराशि शेष बचती है तो उसे यथासमय समर्पित कर दी जायेगी।

3- इस निमित्त होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या- 25 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2056-जेलें-101-जेल-03-समस्त कारागार के मानक मद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" मद में उपलब्ध धनराशि से वहन किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक- 03.08.2017 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-**48** /2018/385(1)/22-4-2018-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
(5) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।
(6) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 शासन।
(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(कलाम मुहीउद्दीन)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।